क्या होता हैं?

GST क्या हैं?

CGST | SGST | IGST | GST की दरें | सम्पूर्ण विश्लेषण

GET FREE PDF

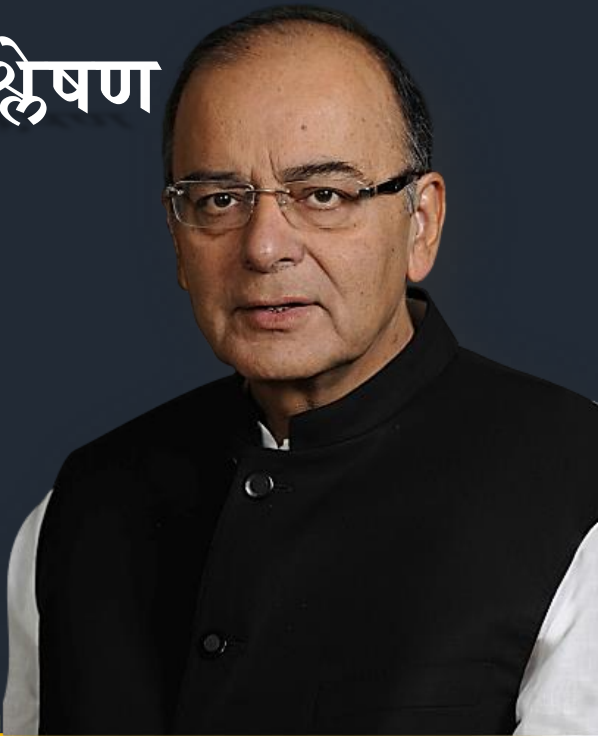

D&K Academy | /dkmppscAcademy | www.dkmppsc.com

GST क्या हैं?

- **जीएसटी (GST) क्या हैं?**
- वस्तु एंव सेवा कर (Goods and Service Tax) एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है।
- जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा।
- जीएसटी लागू होने से पूरा देश,एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise), सेवा कर (Service Tax), वैट (Vat), मनोरंजन, विलासिता, लॉटरी टैक्स आदि जीएसटी में समाहित हो जाएंगे।
- इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा

GST क्या हैं?

- **प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) –**
- प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है, उसी से उसे वसूला जाता है ! अर्थात वह कर जिसे आपसे सीधे तौर पर वसूला जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते है !
- उदा. - आय कर, क्रषि कर, व्यवसाय कर, धन कर, संपत्ति कर, निगम कर, भू-राजस्व कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर
- **अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) –**
- ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है अर्थात कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नही पडता जो उसे अदा करता है
- उदा. - Excise Tax (उत्पाद कर), Custom Tax (सीमा शुल्क), Services Tax (सेवा कर), Market Tax/Vat (बाजार कर), Entertainment Tax (मनोरंजन कर), Sales Tax (बिक्री कर), Stamp Duty

GST क्या हैं?

- **क्यों जरूरी है जीएसटी**
- भारत का वर्तमान कर ढांचा (Tax Structure) बहुत ही जटिल है।
- भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
- इस कारण देश में अलग अलग तरह प्रकार के कर लागू है, जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है।
- कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना एक मुश्किल होताहै।

GST क्या हैं?

- GST केवल अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करेगा, प्रत्यक्ष कर जैसे आय-कर आदि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही लगेंगे।
- जीएसटी के लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आएगी
- संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जीएसटी दो स्तर पर लगेगा – सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एंव सेवा कर) और एसजीएसटी (राज्य वस्तु एंव सेवा कर)।
- सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थिति में आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु एंव सेवाकर) लगेगा।
- आईजीएसटी का एक हिस्सा केंद्र सरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले राज्य को प्राप्त होगा।

GST क्या हैं?

- व्यवसायी ख़रीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी की इनपुट क्रेडिट ले सकेंगे जिनका उपयोग वे बेचीं गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी के भुगतान में कर सकेंगे।
- GST के तहत उन सभी व्यवसायी, उत्पादक या सेवा प्रदाता को रजिस्टर्ड होना होगा जिन की वर्षभर में कुल बिक्री का मूल्य एक निश्चित मूल्य से ज्यादा है।
- प्रस्तावित जीएसटी में व्यवसायियों को मुख्य रूप से तीन अलग अलग प्रकार के टैक्स रिटर्न भरने होंगे जिसमें इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और एकीकृत रिटर्न शामिल है।

GST क्या हैं?

- **CGST, SGST और IGST क्या हैं ?**
- CGST,IGST और SCGT गुड्स और सर्विस टेक्स के ही पार्ट है जो भारत मे 1 जुलाई से लागु होंगे.
- राज्य के भीतर माल बेचने पर CGST(central goods and service tax) तथा SGST(state goods and service tax) लगेगा. उदाहरण. यदि कोई राजस्थान का वयक्ति राजस्थन के वयक्ति को माल बेचता है और उस वस्तु और उस वस्तु पर GST की rate18% है तो 9%CGST तथा 9%SGST लगेगा
- और यदि माल राज्य के बाहर के व्यक्ति को बेचा जाता है तो 18 % की दर से IGSTलगेगा |

क्या होता हैं?

GST क्या हैं?

- **कौन-कौन लोग जीएसटी के दायरे में आएंगे:**
- 1. 20 लाख रुपये या उससे कम सालाना कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे. पूर्वोत्तर और विशेष दर्जा वाले राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये सीमा 10 लाख रुपये होगी. ऐसे कारोबारी चाहे तो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. ऐसा करने पर उन्हे इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा
- 2. 20 लाख रुपये से ज्यादा (विशेष दर्जा वाले राज्यों में 10 लाख रुपये) के सालाना कारोबार करने वालों को जीएसटीएन पर अपने पैन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- 3. 20 लाख रुपये से ज्यादा लेकिन डेढ़ करोड़ रुपये से कम तक का सालाना कारोबार करने वाले 90 फीसदी व्यापारी, कारोबारी, उद्यमी राज्य सरकार के नियंत्रण में आंएंगे जबकि बाकी 10 फीसदी केंद्र सरकार के तहत. कारोबारियों की चयन लॉटरी के जरिए होगा.
- 4. डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वालों में आधे राज्य सरकार के अधीन होंगे जबकि बाकी केंद्र सरकार के अधीन. कौन से कारोबारी किसके अधीन आएंगे, इसका फैसला भी लॉटरी के आधार पर होगा.

GST क्या हैं?

- **क्या-क्या है जीएसटी से बाहर**
- शराब पूरी तरह से बाहर है. बकायदा संविधान संशोधन विधेयक में इसका जिक्र है. मतलब ये हुआ कि पहली जुलाई के बाद पूर्व की तरह राज्य सरकारें आबकारी लगाती रहेंगी.
- पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस अभी बाहर है. लेकिन तकनीकी तौर पर ये समझना जरुरी है कि ये संविधान में संशोधन के बाद हैं तो जीएसटी की दायरे में, लेकिन जीएसटी काउंसिल का फैसला है कि इन पर जीएसटी कुछ समय बाद ही लागू होगा. तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें उनपर कर लगाती रहेंगी.
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जीएसटी से पूरी तरह बाहर हैं.

क्या होता हैं?

GST क्या हैं?

- GST (वस्तु और सेवा कर) में Tax Rates तय कर दी गयी हैं और इन GST Rates को मोटे तौर पर 5 भागों (Slabs) में बांटा गया हैं| - 0%, 5%, 12%, 18% व 28%
- आवश्यकताओं और रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर कम टैक्स दरें रखी गयी हैं वहीँ विलासिता की वस्तुओं और सेवाओं पर GST की Rates High रखी गई हैं|
- GST की अधिकतम दर 28% रखी गयी हैं और करीब 19% वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर 28% की दर से GST लगेगा|
- जीएसटी के बाद ज्यादात्तर वस्तुएं सस्ती होंगी और सेवाएँ महँगी होंगी|
- **वस्तुएं (Goods) जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा – 0%**
- रोजमर्रा के सामन जैसे दूध, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, बटर मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, फ्रेश मीट, फिश चिकन, अंडा, स्टांप. न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़िया और हैंडलूम जैसे रोजमर्रा के सामान जीएसटी से बाहर रखे गए हैं.
- **सेवाएँ (Services) जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा – 0%**
- Hotels and lodges with tariff below Rs 1,000,

GST क्या हैं?

- **वस्तुएं (Goods) जिन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा**
- ब्रांडेड फ़ूड जैसे ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्ड पाउडर, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट और लाइफबोट्स जैसी वस्तुएं
- **सेवाएँ (Services) जिन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा**
- Transport services (Railways, air transport), small restaurants will be under the 5% category because their main input is petroleum, which is outside GST ambit.
- **वस्तुएं (Goods) जिन पर 12% की दर से टैक्स लगेगा**
- सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, फ्रोजन मीट प्रॉडक्ट्स, बटर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, ऐनिमल फैट, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसी जरूरी आइटम्स को 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है।
- **सेवाएँ (Services) जिन पर 12% की दर से टैक्स लगेगा**
- Non-AC hotels, business class air ticket, fertilizers, Work Contracts will fall under 12 %GST

क्या होता हैं?

GST क्या हैं?

- **वस्तुएं (Goods) जिन पर 18% की दर से टैक्स लगेगा**
- जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी टैक्स लगाए जाने का निर्णय किया गया है|
- **सेवाएँ (Services) जिन पर 18% की दर से टैक्स लगेगा**
- AC hotels that serve liquor, telecom services, IT services, branded garments and financial services will attract 18 per cent tax under GST.

क्या होता हैं?

GST क्या हैं?

- **वस्तुएं (Goods) जिन पर 28% की दर से टैक्स लगेगा**
- पेंट, डीओडरन्ट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाइ, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, च्युइंगम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौकाविहार को लग्जरी मानते हुए सबसे अधिक टैक्स लेने का फैसला किया गया है.
- **सेवाएँ (Services) जिन पर 28% की दर से टैक्स लगेगा**
- 5-star hotels, race club betting, cinema will attract tax 28 per cent tax slab under GST
- **नोट -** सोना-चांदी के लिए विशेष दर 3 फीसदी है जबकि मंहगी गाड़ियां, लग्जरी गुड्स वगैरह पर 15 फीसदी की दर से अतिरिक्त सेस लगाने का प्रस्ताव है.
- सेस से जो कमाई होगी, उसका इस्तेमाल राज्यों को जीएसटी लागू होने की सूरत में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए होगा. उम्मीद है कि सेस से करीब 50 हजार करोड़ रुपये की कमाई होगी.

क्या होता हैं?

GST क्या हैं?

- **कितने प्रकार (Types) के GST Return File करने होंगे?**
- एक सामान्य टैक्सपेयर को GST में हर महीने तीन Return File करने होंगे और वर्ष के अंत में एक रिटर्न File करना होगा|
- इस प्रकार एक सामान्य टैक्सपेयर को वर्ष में करीब 37 रिटर्न फाइल करने होंगे|
- **Composition Scheme** छोटे Taxpayers के लिए हैं जिनका वार्षिक turnover 50 लाख रूपये तक हैं|
- इस स्कीम के Taxpayers के लिए सरल व्यवस्था होती हैं|
- Composition Scheme के तहत रजिस्टर्ड taxpayer को हर तीन महीने में एक रिटर्न फाइल करना होगा और वर्ष के अंत में एक Combined Return भरना होगा|
- इस प्रकार कम्पोजीशन स्कीम वाले टैक्सपेयर को आसानी होगी और वर्ष में केवल 5 ही फाइल करने होंगे|

GST क्या हैं?

• जीएसटी का आम लोगों पर प्रभाव

- अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। वर्तमान में एक ही वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग टैक्स लगते है लेकिन जीएसटी आने से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी।
- हालांकि इससे सेवाओं की लागत बढ़ जाएगी
- दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि पूरे भारत में एक ही रेट से टैक्स लगेगा जिससे सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक जैसी होगी।
- Goods and Service Tax Law (GST) लागू होने से केंद्रीय सेल्स टैक्स (सीएसटी), जीएसटी में समाहित हो जाएगा जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी।

क्या होता हैं?

GST क्या हैं?

- **जीएसटी का व्यवसायों पर प्रभाव**
- वर्तमान में व्यवसायों को अलग-अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है जैसे वस्तुओं के उत्पादन करने पर उत्पाद शुल्क, ट्रेडिंग करने पर सेल्स टैक्स, सेवा प्रदान करने पर सर्विस टैक्स आदि।
- इससे व्यवसायों को विभिन्न प्रकार के कर कानूनों की पालना करनी पड़ती है जो कि बहुत ही मुश्किल एंव जटिल कार्य है। लेकिन जीएसटी के लागू होने से उन्हें केवल एक ही प्रकार अप्रत्यक्ष क़ानून का पालन करना होगा जिससे भारत में व्यवसाय में सरलता आएगी।
- वर्तमान में व्यवसायी, उत्पाद शुल्क व सेवा कर के भुगतान में बिक्री कर की इनपुट क्रेडिट (ख़रीदे गए माल पर चुकाए गए कर) का उपयोग नहीं कर सकता और बिक्री कर के भुगतान में सेवा कर(सेवाओं पर चुकाए गए कर) और उत्पाद शुल्क (ख़रीदे गए माल पर लगे उत्पाद शुल्क) की क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता।
- इस कारण वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाती है। लेकिन जीएसटी के लागू होने से व्यवसायियों को सभी प्रकार की खरीदी गयी वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी की पूरी क्रेडिट मिल जाएगी जिसका उपयोग वह बेचीं गयी वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में कर सकेगा। इससे लागत में कमी आएगी

D&K
ACADEMY
COMPETITION CLASSES

LEARN WITH no.1 GK CHANNEL